कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं.– 0772–299660
फैक्स नं.– ....
ई–मेल– gmcsatna150@gmail.com
वेबसाइट–www.gmcsatna.com

क्रमांक ....255....../स्था./जीएमसी/विज्ञप्ति/2024 सतना, दिनांक 17.01.2024

//विज्ञप्ति//

म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 89/एफ 2–42/2007/1/55 (पार्ट) भोपाल, दिनांक 12.01.2024 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट की चयन प्रक्रिया एवं पात्रता शर्तो के अनुक्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) में **वॉक–इन इंटरव्यू** के माध्यम से **सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट** के रिक्त पदों में से एम.बी.बी.एस. 150 सीट की अनुमति के प्रथम रिन्युअल हेतु निर्धारित एन.एम.सी. मापदण्डों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

दिनांक 17.01.2024 की स्थिति में

आवेदन करने की अंतिम तिथि	:– *दिनांक 27.01.2024, सायं 05:00 बजे तक*
साक्षात्कार का दिन एवं समय	:– *दिनांक 30.01.2024, प्रातःकाल 10:00 बजे*

1. सीनियर रेसीडेंट, मासिक शिष्यावृत्ति रु. 80,811/– प्रतिमाह

स.क्र.	पदनाम एवं विभाग	रिक्त पद	रिक्त पदों का रोस्टर अनुसार वर्गीकरण				
			UR	OBC	ST	SC	EWS
1.	सीनियर रेसीडेंट (फार्माकोलॉजी)	04	02	01	01	00	00
2.	सीनियर रेसीडेंट (पैथोलॉजी)	05	02	01	01	01	00
3.	सीनियर रेसीडेंट (फॉरेसिंक मेडिसिन)	03	01	01	01	00	00
4.	सीनियर रेसीडेंट (माइक्रोबायोलॉजी)	04	02	01	01	00	00
5.	सीनियर रेसीडेंट (कम्युनिटी मेडिसिन)	04	02	01	01	00	00
6.	सीनियर रेसीडेंट (जनरल मेडिसिन)	03	01	01	01	00	00
7.	सीनियर रेसीडेंट (पिडियाट्रिक्स)	01	01	00	00	00	00
8.	सीनियर रेसीडेंट (डर्मेटोलॉजी)	01	01	00	00	00	00
9.	सीनियर रेसीडेंट (साईकेट्री)	01	01	00	00	00	00
10.	सीनियर रेसीडेंट (जनरल सर्जरी)	03	01	01	01	00	00
11.	सीनियर रेसीडेंट (ओटो रायनो लैरिंगोलॉजी)	01	01	00	00	00	00
12.	सीनियर रेसीडेंट (आप्थैलमोलॉजी)	01	01	00	00	00	00
13.	सीनियर रेसीडेंट (आब्सट्रैटिक्स एंड गायनोकोलाजी)	02	01	01	00	00	00
14.	सीनियर रेसीडेंट (एनेस्थेसियोलॉजी)	02	01	01	00	00	00
15.	सीनियर रेसीडेंट (रेडियोडायग्नोसिस)	02	01	01	00	00	00
16.	सीनियर रेसीडेंट (डेन्टीस्ट्री)	01	01	00	00	00	00
17.	सीनियर रेसीडेंट (एनाटॉमी)	05	02	01	01	01	00
18.	सीनियर रेसीडेंट (फिजियोलॉजी)	03	01	01	01	00	00
19.	सीनियर रेसीडेंट (बायोकेमिस्ट्री)	04	02	01	01	00	00
	कुल	**50**	**25**	**13**	**10**	**02**	**00**

क्रमशः....02

E:\Mahendra\2024\MC Satna\SR And JR Advertisement.docx

1. **जूनियर रेसीडेंट :–** जूनियर रेसीडेंट, मासिक शिष्यावृत्ति रु. 56355/– प्रतिमाह

स.क्र.	पदनाम एवं विभाग	रिक्त पद	रिक्त पदों का रोस्टर अनुसार वर्गीकरण				
			UR	OBC	ST	SC	EWS
1.	जूनियर रेसीडेंट (जनरल मेडिसिन)	06	03 (1F)	01	01	01	00
2.	जूनियर रेसीडेंट (पिडियाट्रिक्स)	02	01	01	00	00	00
3.	जूनियर रेसीडेंट (डर्मेटोलॉजी)	02	01	01	00	00	00
4.	जूनियर रेसीडेंट (साईकेट्री)	02	01	01	00	00	00
5.	जूनियर रेसीडेंट (जनरल सर्जरी)	06	03 (1F)	01	01	01	00
6.	जूनियर रेसीडेंट (ओटो रायनो लैरिंगोलॉजी)	02	01	01	00	00	00
7.	जूनियर रेसीडेंट (आप्थैलमोलॉजी)	02	01	01	00	00	00
8.	जूनियर रेसीडेंट (आब्सटेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी)	04	02	01	01	00	00
	कुल	**26**	**13**	**08**	**03**	**02**	**00**

टीपः– पदों एवं विषयों की संख्या बढाई/घटाई जा सकेगी, जिसकी जानकारी समय–समय पर चिकित्सा महाविद्यालय सतना की वेब साइट **www.gmcsatna.com** पर उपलब्ध की जावेगी।

17/01/2024

(डॉ. शशिधर प्रसाद गर्ग)
अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

17-01-24

17.01.24

कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं.– 0772–299660
फैक्स नं.– ....
ई–मेल– gmcsatna150@gmail.com
वेबसाइट–www.gmcsatna.com

क्रमांक 255 / स्था. / जीएमसी / विज्ञप्ति / 2024 सतना, दिनांक 17.01.2024

सीनियर / जूनियर रेसीडेंट के पद पर आवेदन हेतु नियम / निर्देशः–

आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया :– आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2024, शनिवार सायंकाल 05:00 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना में भेजे जा सकेंगें। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में अथवा चिकित्सा महाविद्यालय की आधिकारिक ई–मेल आई.डी. recruitment.gmcsatna@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

आवेदन शुल्क :– सभी अभ्यर्थियों के लिये आवेदन निःशुल्क होगा।

साक्षात्कार – दिनांक 30.01.2024 (मंगलवार) समय प्रातःकाल 10:00 बजे, अधिष्ठाता कार्यालय के सभाकक्ष में निर्धारित रहेगा।

नियम एवं निर्देश :– म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 89 / एफ 2–42 / 2007 / 1 / 55 (पार्ट) भोपाल, दिनांक 12.01.2024 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट की चयन / भर्ती प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार होगी :–

1/ जूनियर रेसीडेंट्सः–

पात्रता :–

जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

अपात्रता :–

(i) एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता / प्राचार्य, चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(iii) पाठ्यक्रम अवधि में छात्र / छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

(iv) पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।

(v) बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र / छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।

(vi) समस्त आवेदकों को इस आशय का स्व–घोषित शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट–1)** अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों में से अथवा अन्य किसी कारण से उनके विरूद्ध कोई वैधानिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही न ही संस्थित की गई है और न नही वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रचलन में है।

चयन विधि :–

(i) अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

(ii) योग्य अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन के मापदण्ड एवं प्रोराटा के आधार पर नियत होगा **(परिशिष्ट–3)**।

(iii) चयन हेतु प्रथमतः प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जावेगा। तत्पश्चात् निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

(iv) चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी। चयनित चिकित्सक द्वारा मध्य में सेवायें छोड़ने पर शेष अवधि के लिये प्रतीक्षारत चिकित्सक का चयन किया जायेगा। यह प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष तक के लिये वैध होगी।

(v) चयनित जूनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

टेन्युअर (Tenure) :–

(i) टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।

(ii) 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।

(iii) विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सक का कार्य संतोषजनक रिपोर्ट नहीं देने अथवा अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने पर उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

आरक्षण :–

(i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :–

जूनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृत्ति :–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित जूनियर रेसीडेंट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

2/ <u>सीनियर रेसीडेन्टस</u>

<u>पात्रता :–</u>

(i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पाँच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

(ii) चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

(iii) एन.एम.सी. द्वारा समय–समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

<u>अपात्रता :–</u>

(i) एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्था द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय/संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(iii) पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

(iv) पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।

(v) बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।

(vi) समस्त आवेदकों को इस आशय का स्व–घोषित शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट–2)** अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों में से अथवा अन्य किसी कारण से उनके विरूद्ध कोई वैधानिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही न ही संस्थित की गई है और न ही वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रचलन में है।

<u>चयन विधि :–</u>

(i) अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

(ii) चयन हेतु प्रथमतः प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों पर विचार किया जावेगा। तत्पश्चात निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

(iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. किया है, उसी विषय के लिये पात्रता होगी।

(iv) चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी. होगा।

(v) योग्य अभ्यार्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन के मापदण्ड एवं प्रोराटा के आधार पर नियत होगा **(परिशिष्ट–3)**।

(vi) चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

टेन्युअर (Tenure) :–

(i) टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।

(ii) 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।

(iii) विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के सम्बन्ध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, सम्बद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

(iv) विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :–

(i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेंसी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।

(iii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :–

सीनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृत्ति :–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित सीनियर रेसीडेंट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

3/ प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का सीनियर रेसीडेन्ट में चयन :–

(i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

(ii) एन.एम.सी. द्वारा समय–समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

(iii) जिस प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. किया है, उसकी सिर्फ उसी विषय के लिए सीनियर रेसीडेंसी की पात्रता रहेगी।

चयन विधि :–

(i) ऐसे प्रदर्शकों / ट्यूटरों / चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी. / एम. डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हें सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(ii) साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों / ट्यूटरों / चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी. / एम.एस. / एम.डी.एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

सीट का आरक्षण :–

(i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) निर्धारित आरक्षित / अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों / ट्यूटरों / चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।

वेतन भत्ते :–

प्रदर्शक / ट्यूटर / चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

अवकाश :–

इनको सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी। सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये मूल पद से जुड़े किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

टीप :–

जिन प्रदर्शकों / ट्यूटरों / चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक / ट्यूटर / चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरूद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरूद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

यात्रा भत्ता :–

साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा।

17/01/2024

(डॉ. शशिधर प्रसाद गर्ग)
अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

17-01-24 17.01.24

आवेदन का प्रारूप
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

प्रति,

अधिष्ठाता,

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

विषयः– शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सीनियर/जूनियर रेसीडेंट पद हेतु आवेदन।

सन्दर्भः– विज्ञप्ति क्रमांकः .... दिनांक : ....

Paste self-attested passport size photo

आवेदित पद का नाम : ....

आवेदित विभाग का नाम : ....

नोटः– सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण भरी जावे, अपूर्ण जानकारी दिये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा।

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	पुरुष/महिला/अन्य	
4.	आवेदक की श्रेणी – सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूची जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस.	
5.	आवेदक दिव्यांग प्रवर्ग से है (हां/नहीं)	
6.	दिव्यागता की स्थिति में दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत	
7.	वर्तमान पद, कार्यस्थल एवं संस्थान	
8.	वर्तमान संस्था जहाँ पर कार्यरत है (निजी/शासकीय)	
9.	वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित)	
10.	स्थाई पता (पिन कोड सहित)	
11.	मोबाइल नं.	
12.	ईमेल आई.डी.	
13.	आधार न.	
14.	जन्मतिथि (हाई स्कूल की अंकसूची सलंग्न करें)	
15.	दिनांक 01/01/2024 को आवेदक की आयु वर्ष	
16.	आवेदक की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित)	
17.	विवाह का दिनांक	

18.	विवाह के समय आपकी उम्र	
19.	आपके जीवित संतानों की संख्या	
20.	यदि बच्चो की संख्या ≥ 3 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक	

21. शैक्षणिक योग्यता– स्नातक (Undergraduate) :– (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S. No.	Name of Exam	Institute / University	Year of Passing	Marks obtained/ Max. Marks	Percentage	Attempt

Average % of Under-Graduation :-

No. of Additional Attempts (If any) :-

(नोटः– प्रत्येक परीक्षा के प्रयास प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो, संलग्न करें।)

22. शैक्षणिक योग्यता– स्नातकोत्तर (Postgraduate) :– (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S. No.	Name of Exam	Institute / University	Year of Passing	Subject	Marks obtained / Max. Marks	Percentage	Attempt
1							

23. शैक्षणिक योग्यताएं– (Super Speciality / others) :– (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S. No.	Name of Exam	Institute / University	Year of Passing	Subject	Marks obtained / Max. Marks	Percentage	Attempt
1							

24. मेडिकल कौंसिल का पंजीयन क्रमांक, नाम एवं दिनांकः–

शैक्षणिक योग्यताए	पंजीयन क्रमांक	कौंसिल का नाम	दिनांक

25. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

S. No.	Certificates / Documents	Yes / No/NA
1.	High School Mark Sheet (Date of Birth)	
2.	Undergraduate Marksheets	
3.	Internship Completion Certificate	
4.	Attempt Certificate of Undergraduate issued by Dean / Competent Authority	
5.	Undergraduate Degree	
6.	Undergraduate Medical/Dental Council Registration	
7.	Postgraduate Notification / Marksheet / Passing Certificate	
8.	Attempt Certificate of Postgraduate issued by Dean / Competent Authority	
9.	Postgraduate Degree	
10.	Postgraduate Additional Registration	
11.	Super Speciality / Other Notification / Marksheet / Passing Certificate	
12.	Super Speciality / Other Attempt Certificate issued by Dean / Competent Authority	
13.	Super Speciality / Other Degree	
14.	Super Speciality / Other Registration	
15.	Certificate of Participation – Basic Course Workshop in MET	
16.	Basic Course in Biomedical Research completion certificate	
17.	Work/Teaching Experience Certificate issued by Dean / competent authority	
18.	Copy of Certificate for awarded Research Paper	
19.	Domicile Certificate issued by Competent Authority	
20.	Caste Certificate issued by Competent Authority	
21.	Aadhar Card	
22.	Self declaration letter regarding not working in any other Govt. institution/department	
23.	Under taking as per Annexure 1 or 2	
24.	NOC from current employer in case of working in Govt./Semi Govt./Autonomous Medical/Dental College.	
25.	*Others if any -*	

स्थान –

दिनांक –

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा – पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है आवश्यक दस्तावेजों की कमी / जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है ।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

//शपथ पत्र//

मै.. पिता/पति ....

उम्र .... वर्ष, निवासी ....

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में .... विभाग अन्तर्गत

जूनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

02/ यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:–

(i) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नही रहा/रही हूँ।

(ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नही रहा/रही हूँ।

(iii) पाठ्यक्रम अवधि में मेरे विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित नही है।

(iv) पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता की कोई प्रतिकूल टिप्पणी संबंधित महाविद्यालय द्वारा नही दी गई है।

03/ उपरोक्त (i) से (iv) तक उल्लेखित जानकारी सत्य है तथा भविष्य में कथन असत्य पाए जाने की दशा में चयन के किसी भी चरण पर मेरी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

स्थान:–
दिनांक:–

शपथकर्ता का हस्ताक्षर,..

नाम, ...

पता, ...

....

मोबाइल नम्बर:...

//शपथ पत्र//

मै.. पिता/पति ....

उम्र .... वर्ष, निवासी ....

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में .... विभाग अन्तर्गत

सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

02/ यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:–

(i) एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्था द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय/संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नही रहा/रही हूँ।

(ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नही रहा/रही हूँ।

(iii) पाठ्यक्रम अवधि में मेरे विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित नही है।

(iv) पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता की कोई प्रतिकूल टिप्पणी संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा नही दी गई है।

03/ उपरोक्त (i) से (iv) तक उल्लेखित जानकारी सत्य है तथा भविष्य में कथन असत्य पाए जानें की दशा में चयन के किसी भी चरण पर मेरी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी ।

स्थानः–
दिनांकः–

शपथकर्ता का हस्ताक्षर,...

नाम, ...

पता, ...

....

मोबाइल नम्बरः...

परिशिष्ट–3

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना में जूनियर रेसीडेंट के पद पर चयन हेतु मापदण्ड

1. एन.एम.सी./एम.सी.आई. द्वारा मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीण एम.बी.बी.एस. समस्त प्रोफेशनल परीक्षा में सकल प्राप्तांक प्रतिशत का 70 प्रतिशत, प्रति अतिरिक्त प्रयास में एम.बी.बी.एस. प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीण होने की दशा में 02 अंक घटायें जाएंगें। **(अधिकतम 70 अंक)**
2. मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विषय में जूनियर रेसीडेंट के पूर्व अनुभव हेतु प्रतिवर्ष 02 अंक प्रदान किये जाएंगे। **(अधिकतम 10 अंक)**
3. साक्षात्कार हेतु **अधिकतम 20 अंक।**

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना में सीनियर रेसीडेंट के पद पर चयन हेतु मापदण्ड

1. एन.एम.सी./एम.सी.आई./डी.सी.आई. द्वारा मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीण एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. समस्त प्रोफेशनल परीक्षा में सकल प्राप्तांक प्रतिशत का 40 प्रतिशत, प्रति अतिरिक्त प्रयास में एम.बी.बी.एस./बी.डी. एस. प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीण होने की दशा में 02 अंक घटायें जाएंगें। **(अधिकतम 40 अंक)**
2. एन.एम.सी./एम.सी.आई./डी.सी.आई. द्वारा मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय से चिकित्सा स्नातकोत्तर पी.जी. डिग्री–एम.डी/एम.एस./डी.एन. बी./एम.डी.एस. हेतु 30 अंक, प्रति अतिरिक्त प्रयास में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होने की दशा में 05 अंक घटाया जावेगा। **(अधिकतम 30 अंक)**
3. मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय मे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपरांत सीनियर रेसीडेंट/शैक्षणिक कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष 2.5 अंक प्रदान किये जाएंगे। **(अधिकतम 05 अंक)**
4. संबंधित विषय में राज्य/राष्ट्रीय स्तर की कान्फ्रेंस में पुरूष्कृत शोध पत्र हेतु **05 अंक।**
5. साक्षात्कार हेतु **अधिकतम 20 अंक।**